न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-553RAAJodhpur2022-156RTA223 Panchee Vs Kamla etc

पांची पुत्री साजनराम पत्नी अर्जुनराम विश्नोई, निवासी झड़ासर राणेरी, तहसील बाप, जिला फलोदी, हाल–ग्राम जालूवाला, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. कमला पत्नी अर्जुनराम पुत्री साजनराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम राणेरी, तहसील बाप जिला फलोदी।
2. साजनराम पुत्र हरूराम, जाति विश्नोई निवासी झडासर राणेरी तहसील बाप जिला फलौदी।
3. श्री तहसीलदार बाप जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 2022सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वादसंख्या 162/2019कमला बनाम तहसीलदार इत्यादि

उपस्थित–
श्रीरोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्रीपूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 02अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टरबाप द्वाराराजस्व मूल वाद संख्या 162/2022 अनवान कमला बनाम तहसीलदारइत्यादिमें पारितनिर्णय एवं डिक्रीदिनांक 01 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19सितंबर 2022 कोप्रस्तुत की है।

अपीलार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत करने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थीनी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एकने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम झडासर(वर्तमान राजस्व ग्राम पदमेतनगर) तहसील बाप के खसरा नं0 664 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं0 682 रकबा 24 बीघा, खसरा नं0 683 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 694 रकबा 19 बीघा4 बिस्वा, खसरा नं0 685 रकबा 12 बिस्वा भूमि के संबंध धारा88आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01 जून 2022 को स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि पुश्तैनी हिन्दू परिवार की भूमि है। वादीनी कमला के अलावासाजनरामजी के तीन और पुत्रीयां पांची अपीलार्थीनी, नूरी, कमला जीवित है तथा भूमि पुश्तैनी होने के कारण उक्त भूमि में जन्म से ही अपीलार्थीनी को हक, हिस्सा प्राप्त हो गया था। प्रत्यर्थी सं० २ द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बख्शीश नहीं किया जा सकता था तथा न ही घोषणा प्राप्त की जा सकती थीइसलिए अपीलार्थीनी आलौच्य निर्णय व डिक्री से व्यधित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलार्थीनी व्यथित पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीनी को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था, इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जानकारी नहीं थी। वर्तमान में जब अपीलार्थीनी अपने खेत में कार्य कर रही थी तो प्रत्यर्थी 01 मौके पर आई तथा धमकी दी कि उसने सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवा दी है, अब वह उसे बेदखल कर देगी, जिस पर अपीलार्थीनी ने बाप न्यायालय आकर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा न्यायालय में पत्रावली के बारे में पता किया। जिस पर उन्हें निर्णय होना बताया गया। अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 22-08-2022 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल तैयार होकर 28-08-22 को प्राप्त हुई जिसे पढ़ने पर प्रथम बार जिस पढ़ने पर प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। जिस पर नकल लेकर अपीलार्थी दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16–09–2022 को जोधपुर आई तथा यह अपील तैयार करवाकर प्रथम जानकारी से अन्दर म्यांद प्रस्तुत की है। अंत में अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अंदर म्यांद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए गुणावगुण पर कथन किया किविवादित भूमि पुश्तैनी हिन्दू परिवार की भूमि है। साजनरामजी के वादीनी कमला के अलावा तीन और पुत्रीयां पांची अपीलार्थीनी, नूरी, कमला जीवित है तथा भूमि पुश्तैनी होने के कारण उक्त भूमि में जन्म से ही अपीलार्थीनी को हक, हिस्सा प्राप्त हो गया था। प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बख्शीश नहीं किया जा सकता था तथा न ही घोषणा प्राप्त की जा सकती थी। अपीलार्थीनी व उसकी दो अन्य बहने वाद मे आवश्यक पक्षकार थी, जिन्हें वाद में पक्षकार नही बनाया गया। इस कारण वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–04–2022 को वादीनी द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया तथा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के आधार पर साक्ष्य बन्द की गई, जिससे भी साबित होता है कि वादीनी द्वारा अपना वाद सक्षम साक्ष्य से साबित नही किया गया है जो वाद सक्षम साक्ष्य के अभाव में अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।वकील अीपलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीनी को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिस कारण अपीलार्थीनी अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख सकी तथा उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका। इस कारण भी आलोच्य निर्णय व डिकी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्सस्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 2022 को निरस्त किया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि मामले में आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार निस्तारित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक को जरिये बख्शीश प्राप्त हुई। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलार्थीनी विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से उसे हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उपलब्ध अभिलेख एवं उभय पक्ष की बहस से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से अपीलार्थीनी का वादग्रस्त आराजी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलार्थीनी के अधिकार प्रभावित होने से वह हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अधिकारीणी ठहरती है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थीनी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलार्थीनी विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित न होने से उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। इस कारण अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी में अपनी सभी बहनों के साथ वादग्रस्त आराजी में बराबर हिस्से की हकदार है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से रेस्पोडेंट संख्या दो को अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक भूमि बख्शीश करने का भी कानूनी रूप से अधिकार नहीं है। प्रस्तुत अभिलेख से मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या दो की बहनों द्वारा भी वादग्रस्त आराजी उनकी पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर वाद प्रस्तुत कर अपने हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये किये गये है। हस्तगत मामले में रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते वक्त प्रतिवादी संख्या एक/रेस्पो. संख्या दो की सभी पुत्रियों को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिंना अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 162/2022 अनवान कमला बनाम तहसीलदार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 2022 निरस्त किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में सभी आवश्यक एवं हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर